

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थी

754
बनाम

दिनांक - 19.3.20
अप्रार्थीगण


1 बीजाराम पुत्र हरलालराम जाति
गुरुड़ा निवासी आदर्श ढूँढा
तहसील व जिला बाड़मेर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 29/2020

1 गिरधारीराम पुत्र मेहराण जाति गुरुड़ा वगैराह
निवासी आदर्श ढूँढा, कवास तहसील व जिला
बाड़मेर।

दिनांक- 18/03/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हनुमाननगर पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 668/154 रकबा 10.06 बीघा व मौजा आदर्श ढूँढा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 87 रकबा 0.06, खसरा संख्या 220 रकबा 06.12 बीघा, खसरा संख्या 688/88 रकबा 18.08 बीघा, खसरा संख्या 933/90 रकबा 09.19 बीघा, खसरा संख्या 935/200 रकबा 25.06 बीघा व खसरा संख्या 938/98 रकबा 07.10 बीघा कुल रकबा 68.01 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 18.3.20

क्रमांक :- रीडर/2020/

753-758

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बीजाराम पुत्र हरलालराम जाति गुरुड़ा निवासी आदर्श ढूँढा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र मेहराण जाति गुरुड़ा वगैराह निवासी आदर्श ढूँढा, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर